UPME180004972026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना (मेरठ)

राज्य–बनाम–राजू पनवार आदि
जमानत प्रार्थना सं0–26/2026
फौजदारी वाद सं0–789/2023
मु0अ0सं0–158/2022
अन्तर्गत धारा–498ए,323,406,506 भा0दं0स0 व
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियिम
थाना–सरूरपुर, जिला मेरठ ।

दिनांकः 06.03.2026

1. पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. राजू पनवार पुत्र पवन पनवार 2. पवन पवनवार पुत्र किशन सिंह, 3. श्रीमती शशी पनवार पत्नी पवन पनवार, निवासीगण ग्राम गोटका थाना सरूरपुर, जिला मेरठ** की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आधारस्वरूप यह कथित किया गया था। विवेचक महोदय, द्वारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वर्णित प्रावधानों का लाभ प्रदान करते हुए बिना गिरफतार किये विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रार्थी के विरूद्व प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर समन जारी है। ऐशी दशा में माननीय न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारि बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 2025(3) Crimes 322 (All) के पैरा नंबर 38 के क्लॉज (ii) के निर्देशानुसार सक्षम जामीनान व बंधपत्र हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अभियुक्तगण को बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2025 में पारित दिशा–निर्देशों के आलोक में बन्ध पत्र व जामिनान दाखिन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

3. **न्यायालय द्वारा, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 2025(3) Crimes 322 (All) सम्मान अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से यह विदित है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश के पैरा न0–38 में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिये गये है।**

(1) All District Judges shall ensure that. In cases where the charge-sheet has been filed without arrest whether because custodial Interrogation was not effected during investigation by Investigating Officer, or the accused had secured anticipatory ball/protective orders under Article 226 of the Constitution or Section 528 of the BNSS and duly cooperated during investigation the trial court shall not remand the accused to judicial custody upon appearance pursuant to summons, nor insist upon filing of regular or anticipatory bail applications. The accused shall be permitted to appear and furnish a personal bond at the first instance, in terms of Musheer Alam (supra) and Satender Kumar Antil (supra). The requirement of surety under Section 91 BNSS may be considered subsequently at the court's discretion to ensure appearance of the accused.

4. उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी अभियुक्तगण की गिरफतारी दौरान विवेचना पुलिस द्वारा नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, तो विचारण न्यायालय अभियुक्त को जमानत प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित नहीं करेगा और अभियुक्तगण को अवगत कराएगा कि यह बंधपत्र व जमानतदार दाखिल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो अधिकतम 07 वर्ष तक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते है। अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद में सहयोग किये जाने का भी कथन किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2025** में प्रतिपादित सिद्वांतों के आलोक में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–158/2022 सरकार बनाम राजू पनवार आदि में अभियुक्तगण **1. राजू पनवार पुत्र पवन पनवार 2. पवन पवनवार पुत्र किशन सिंह, 3. श्रीमती शशी पनवार पत्नी पवन पनवार, निवासीगण ग्राम गोटका थाना सरूरपुर, जिला मेरठ** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि यह 25,000/–रूपये का बंध पत्र व इसी धनराशि के जमानत प्रतिभु दाखिल करना सुनिश्चित करेगें व इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें कि वह आगामी तिथियों पर वाद की कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग करेगें। पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

दिनांकः 06.03.2026

(परवीन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना
मेरठ ।
JO CODE 04687